न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
35 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	01.06.2022	10.01.2023

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
............आवेदक

बनाम

1—श्री कन्हैया लाल शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा एफ.बी.ओ. मैसर्स व्यास ट्रेडिंग कम्पनी झिलाई रोड बालाजी टॉवर निवाई जिला टोंक राज. निवासी ग्रा. पो. चैनपुरा तह. निवाई जिला टोंक

2—श्री अशोक कुमार मित्तल पुत्र श्री हरी बाबू पार्टनर मैसर्स के. आर. सेल्स कॉरपोरेशन दुकान नं. बी—70, राजधानी कृषि मण्डी सीकर रोड जयपुर राज. निवासी पुरानी अनाज मण्डी कामां गेट डीग भरतपुर राज.

3—श्री धीरज कुमार मित्तल पार्टनर मैसर्स के. आर. सेल्स कॉरपोरेशन दुकान नं. बी—70, राजधानी कृषि मण्डी सीकर रोड जयपुर राज.

4—श्री शैलेशभाई अशोकभाई पेन्सलवार नॉमिनी मैसर्स ओम सारथी डेयरी प्रोडक्ट्स प्रा. लि. प्लॉट नं. 91—95, ब्लॉक नं. 274 व 276, सत्यम इण्ड. इस्टेट, ग्राम बेडकुवानाजीक तह. व्यारा जिला तापी गुजरात

..............अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।

2—निर्माता फर्म के प्रतिनिधि श्री पारस कुमार जैन उप.।

:—निर्णय—: **दिनांक 10.01.2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.01.2022 को समय 02:49 पी.एम पर मैसर्स व्यास ट्रेडिंग कम्पनी झिलाई रोड बालाजी टॉवर निवाई जिला टोंक (राज0) पर पहुँचा। वहाँ पर श्री कन्हैया लाल शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री कन्हैया लाल शर्मा ने स्वयं को मैसर्स व्यास ट्रेडिंग कम्पनी झिलाई रोड बालाजी टॉवर निवाई जिला टोंक (राज0) का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री कन्हैया लाल शर्मा की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **घी प्रीमियम गाय के दूध से निर्मित नन्द कृष्णा ब्राण्ड (Ghee Premium Made from Cow Milk Nand Krishna Brand)** दुकान की रैक में 500—500 एमएल के 8 नग मूल पैक रखे हुये थे जिसे

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री कन्हैया लाल शर्मा को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **घी प्रीमियम गाय के दूध से निर्मित नन्द कृष्णा ब्राण्ड (Ghee Premium Made from Cow Milk Nand Krishna Brand)** जिसके बैच नं0 पी–12–21 एवं पैकिंग की दिनांक 12–2021 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 500–500 एमएल के 4 नग मूल पैक खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी प्रीमियम गाय के दूध से निर्मित नन्द कृष्णा ब्राण्ड (Ghee Premium Made from Cow Milk Nand Krishna Brand)** 500–500 एमएल के 4 नग मूल पैक को ज्यों का त्यों खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3018 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3018 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक [redacted] से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर नमूना क्रय करते समय श्री कन्हैया लाल शर्मा एफ.बी.ओ. मैसर्स व्यास ट्रेडिंग कम्पनी झिलाई रोड बालाजी टॉवर निवाई जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स के. आर. सेल्स कॉरपोरेशन दुकान नं. बी–70, राजधानी कृषि मण्डी सीकर रोड जयपुर राज. का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 2022 / 397 दिनांक 15.02.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस. / 271 / एक्ट / 2022 / 311 दिनांक 04.02.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी प्रीमियम गाय के दूध से निर्मित नन्द कृष्णा ब्राण्ड (Ghee Premium Made from Cow Milk Nand Krishna Brand)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन करने के कारण **अवमनाक (Sub-Standard)**, **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया जिसकी सूचना अप्रार्थीगण को भिजवायी गयी।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रबंधक मैसर्स के. आर. सेल्स कॉरपोरेशन दुकान नं. बी–70, राजधानी कृषि मण्डी सीकर रोड जयपुर राज. को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5 ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज उपलबध कराने बाबत् पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म के दस्तावेज खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी रजि. की छायाप्रति के साथ–साथ बतौर वारन्टी मैसर्स ओम सारथी डेयरी प्रोडक्ट्स प्रा. लि. प्लॉट नं. 91–95, ब्लॉक नं. 274 व 276, सत्यम इण्ड. इस्टेट, ग्राम बेडकुवानाजीक तह. व्यारा जिला तापी गुजरात का खरीद बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया जो कि उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माता व पैंकिंगकर्ता हैं।

खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के विरूद्ध मैसर्स के. आर. सेल्स कॉरपोरेशन के व्यवहारी ने नमूना पुनः जांच हेतु अपील आवेदन किया जिस पर नमूना पुनः जांच हेतु निदेशक रैफरल फूड लैब पुणे भिजवाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट क्रमांक सर्टिफिकेट नं. आरएफएल/पी/डीओ/172/22/194/2022 दिनांक 28.03.2022 के अनुसार उक्त नमूना **अवमनाक (Sub-Standard)** पाया गया जो कि अन्तिम रूप से मान्य हैं। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से निर्माता फर्म के प्रतिनिधि श्री पारस कुमार जैन स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में अप्रार्थीगण की ओर से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी प्रीमियम गाय के दूध से निर्मित नन्द कृष्णा ब्राण्ड (Ghee Premium Made from Cow Milk Nand Krishna Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमनाक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी प्रीमियम गाय के दूध से निर्मित नन्द कृष्णा ब्राण्ड (Ghee Premium Made from Cow Milk Nand Krishna Brand)** का नमूना जांच में **अवमनाक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 70,000/–(अक्षरे सत्तर हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 10.01.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0